पश्चिम चम्पारण, जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

एतद् द्वारा पश्चिम चम्पारण, जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में सभी प्रकार की शस्त्र अनुज्ञप्तियों का database NIC द्वारा विकसित प्रपत्र में तैयार किया जाना है, और सभी अनुज्ञप्तिधारियों को दिनांक–01.10.2015 के पूर्व एक विशिष्ट संख्या (unique Number) आवंटित किया जाना है। उक्त तिथि के बाद बिना विशिष्ट संख्या के कोई भी अनुज्ञप्ति वैध नहीं होगी। अनुज्ञप्तिधारियों के database को तैयार करने हेतु चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये हैं, जिसे सभी थानों/अनुमण्डल पदाधिकारियों के कार्यालय /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय, पुलिस अधीक्षक एवं जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं।यह प्रपत्र जिला के website:www.Westchamparan.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

Form-1→ पश्चिम चम्पारण जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-2→ पश्चिम चम्पारण जिला से बाहर के अनुज्ञप्तिधारी जो O.D.पंजी में पंजीकृत है।

Form-3→ sporting weapon के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-4→संस्थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

सभी सूचनाएँ विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रुप से–31.08.2014 तक निश्चित रुप से भरकर जिला शस्त्र शाखा, बेतिया में जमा कर देना है, एवं पावती रसीद प्राप्त कर लेना है। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाऍं फैक्स /ई–मेल/डाक से स्वीकार्य नहीं होंगी, बल्कि अनुज्ञप्तिधारी से व्यक्तिगत रुप में ही प्राप्त की जाएंगी । विहित प्रपत्र के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छाया प्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन फोटो भी संलग्न करना होगा। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र नहीं भरने बाले अनुज्ञप्तिधारियों का database तैयार नहीं हो सकेगा और उनकी अनुज्ञप्ति दि0–01.10.2015 से अवैध हो जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं पूर्णतया जिम्मेवार होंगें।

9/7/14
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी
प० चम्पारण, बेतिया
9/7/14

09.7.14
अपर समाहर्ता
प० चम्पारण, बेतिया

जिला दण्डाधिकारी
पश्चिम चम्पारण बेतिया।
16/7/14

11

समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण बेतिया।

(जिला शस्त्र शाखा)

फोन न0 06254–242534
फैक्स न0 06254–242576
Email: armsbettiah@gmail.com

पत्रांक 2450/ सा0

प्रेषक,

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

सेवा में,
सभी थानाध्यक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

विषयः– National Database Of Arms Licences के कियान्वयन के संबंध में।

दिनांक 16-7-14

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में सभी प्रकार की शस्त्र अनुज्ञप्तियों का Database NIC द्वारा विकसित प्रपत्र में तैयार किया जाना है, और सभी अनुज्ञप्तिधारियो को दिनांक–01.10.2015 के पूर्व एक विशष्ट संख्या (Unique Number) आवंटित किया जाना है। उक्त तिथि के बाद बिना विशिष्ट संख्या के कोई भी अनुज्ञप्ति वैध नहीं होगी। अनुज्ञप्तिधारियों के Database को तैयार करने हेतु चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये हैं, जो निम्नवत हैः–

Form-1 ⟶ पश्चिम चम्पारण बेतिया जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारों के लिए।

Form-2 ⟶ पश्चिम चम्पारण बेतिया जिला से बाहर के लिए अनुज्ञप्तिधारी जो पश्चिम चम्पारण, बेतिया O.D. पंजी में पंजीकृत है।

Form-3 ⟶ Sporting Weapon के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियो के लिए।

Form.4 ⟶ संस्थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियो के लिए।

अंकनीय है कि अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा सभी सूचनाएँ विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रुप से दि0 –31.08.2014 तक निश्चित रुप से जिला शस्त्र शाखा, बेतिया में जमा कर देना है, एवं पावती रसीद प्राप्त कर लेना है। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ फैक्स/ई– मेल/डाक से स्वीकार्य नहीं होंगी, बल्कि अनुज्ञप्तिधारी से व्यक्तिगत रुप में ही प्राप्त की जाएंगी। विहित प्रपत्र के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छाया प्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन फोटो भी संलग्न किया जाना है। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र नहीं भरने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का Database तैयार नहीं हो सकेगा और उनकी अनुज्ञप्ति दि0–01.10.2015 से अवैध हो जाएगी, जिसके लिए वे पूर्णतया जिम्मेवार होंगें।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में विहित प्रपत्र की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को उक्त विषयवस्तु से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, बेतिया, पश्चिम चम्पारण। 9/7/14	अपर समाहर्ता, बेतिया, पश्चिम चम्पारण। 09-7-14	विश्वासभाजन जिला दण्डाधिकारी, बेतिया, पश्चिम चम्पारण। 16/7/14

ज्ञापांक 2450 / श0,बेतिया ,दिनांक 16-7-14

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बेतिया, बगहा, /अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया, बगहा, नरकटियागंज को विहित प्रपत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, बेतिया, पश्चिम चम्पारण। 9/7/14	अपर समाहर्ता, बेतिया पश्चिम, चम्पारण । 09-7-14	जिला दण्डाधिकारी, बेतिया, पश्चिम चम्पारण। 16/7/14